राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 148/23 प्रा०पत्र

1– श्री जमना s/o श्री देऊचंद जाट निवासी आकड़िया तहसील मांडल [कोरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री लादूलाल s/o मांगू जाट निवासी आकड़िया तहसील मांडल
2. श्रीमती छापू w/o मांगू जाट निवासी आकड़िया तहसील मांडल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– [illegible] 5.24

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.05.08 12:43:24 IST
Reason: SelfAttested

:आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकड़िया पटवार हल्का टहूका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 154,155,156,157,174,178,668 कुल किता 07 रकबा 1.4417 हैक्टेयर [illegible]। उक्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा [illegible] उत्पन्न होता रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान [illegible]।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.11.23 को पंजीबद्ध [illegible] प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं [illegible] काश्त करने का [illegible] अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। [illegible] को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आकड़िया पटवार हल्का टहूका तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 154,155,156,157,174,178,668 कुल किता 07 रकबा 1.4417 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक –पीथास को 600 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 148/23 प्रा०पत्र

1– श्री जमना s/o श्री देउचंद जाट निवासी-भाकलिया तहसील- मांडल [कौरा]

—प्रार्थी

बनाम

1–श्री सादुलाल s/o मांगू जाट निवासी -भाकलिया तहसील- मांडल
2. श्रीमती छापू w/o मांगू जाट निवासी - भाकलिया तहसील - मांडल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० मांडल तहसील- मांडल

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः— 07-05-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाकलिया पटवार हल्का टहूका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 154, 155, 156, 157, 174, 178, 668 कुल किता 07 रकबा 1.4417 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12-11-23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भाकलिया पटवार हल्का टहूका तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 154, 155, 156, 157, 174, 178, 668 कुल किता 07 रकबा 1.4417 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक पीथास को 600 रुपये/— कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.05.08 12:43:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल